कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/ए–2–7/अन्तिम संस्था का अदेय एवं सेवा संतोषप्रद प्रमाण पत्र/2017 दिनांक 16.10.17 के द्वारा श्री मुखविन्द्र सिंह जन्म तिथि 26.01.55 तत्कालीन कार्यवाहक जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, श्रीगंगानगर व वर्तमान सेवानिवृत प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यकि विधालय,15 जैड श्री गंगानगर जो राज्य सेवा से दिनांक 31.01. 2015 को सेवानिवृत हुए के पक्ष में समेकित अदेय एवं सेवा संतोषप्रद प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

विभाग द्वारा जारी समेकित अदेय एवं सेवा संतोषप्रद प्रमाण पत्र के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रकरण का पुनः परीक्षण किया गया एवं पाया गया कि श्री सिंह के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–16 के तहत चल रही विभागीय जॉच में श्री मुखविन्द्र सिंह, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, श्री गंगानगर को आर.टी.ई. के तहत पुर्नभरण की राशि में पर्यवेक्षणीय कमी रखने से विभाग को वितीय हानि हो सकती थी एवं राशि समायोजन में काफी समय एवं संशाधनों का व्यय हुआ के आरोप से आरोपित किया गया था एवं आरोप प्रमाणित भी पाये गये। श्री मुखविन्द्र सिंह तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, श्री गंगानगर(कार्यवाहक)दिनांक 31.01.15 को सेवानिवृत हो चुके है। आरोप गंभीर प्रकृति का होने के कारण राजस्थान पेंशन नियम–1996 के नियम 7 के अन्तर्गत इनको देय पेंशन का 5 प्रतिशत भाग 01 वर्ष के लिए रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल महोदय को अनुमोदन हेतु पूर्व में प्रेषित है।

अतः इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.10.17 को एतद् द्वारा प्रत्याहारित किया जाता है तथा महामहिम राज्यपाल महोदय से उक्त प्रकरण में दण्ड के अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त तदनुसार आदेश पुनः प्रसारित किये जा सकेगें। सभी संबंधित सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आईएएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा/संस्था/ए–2–7/अन्तिम संस्था का अदेय एवं सेवा संतोषप्रद प्रमाण पत्र/2017 दिनांकः 08.11.17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग
2. संबंधित उपनिदेशक,राज्य बीमा एवंप्रावधायी निधी विभाग
3. उप निदेशक,माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
4. जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक/प्रारंभिक, श्री गंगानगर
5. संबंधित कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी
6. प्रधानाचार्य,राउमावि 15 जैड, श्रीगंगानगर
7. संबंधित श्री मुखविन्द्र सिंह
8. सिस्टम एनालिस्ट,कम्प्यूटर अनुभाग,कार्यालय हाजा
9. अनुभाग अधिकारी, विभागीय जॉच/वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन कार्यालय हाजा
10. प्रभारी,बी–I/III डीपीसी
11. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

order